शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/354/2013

श्री विरेन्द्र सोनी, —शिकायतकर्ता
पिता—स्व0 बद्री प्रसाद सोनी,
थाना के सामने वार्ड नं0 20, मनेन्द्रगढ़,
जिला कोरिया (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री आर0आर0 विश्वकर्मा, — अनावेदक कं0 01
जनसूचना अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी,
कार्यालय— जल संसाधन उपसंभाग, मनेन्द्रगढ़,
जिला —कोरिया (छ0ग0)

श्री यू0एस0 राम, — अनावेदक कं0 02
कार्यपालन अभियंता/प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय— जल संसाधन विभाग,
संभाग बैंकुठपुर, जिला—कोरिया (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 02/09/2014)

यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री विरेन्द्र सोनी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत (अनावेदक कं0 01) श्री आर0आर0 विश्वकर्मा, जनसूचना अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय—जल संसाधन उपसंभाग, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ0ग0) एवं (अनावेदक कं0 02), श्री यू0एस0 राम, कार्यपालन अभियंता/प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय—जल संसाधन विभाग, संभाग बैंकुठपुर, जिला कोरिया (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

शिकायत यह है कि शिकायतकर्ता ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 13.9.12 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1, जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में LWE के तहत सामग्री प्रदाय में कितने फर्म से कोटेशन प्राप्त किया गया है, किस फर्म का कोटेशन स्वीकृत है यह जानकारी कोटेशन एवं समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियों के रूप में चाही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें दिनांक 13.10.12 तक नियमानुसार जानकारी प्रदाय किया जाना था परंतु उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। अनावेदक क्रमांक 01 का एक पत्र दिनांक 28.9.12 या 28.10.12 साधारण पोस्ट दिनांक 25.10.12 पत्र प्राप्ति दिनांक 31.10.12 उन्हें प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार लिफाफे में अंकित दिनांक यह दर्शाता है कि जानबूझकर पत्र में पुराना दिनांक लिखकर कूटरचना की गई है। उक्त पत्र दिनांक 28.9.12 द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि किसी भी फर्म से सामग्री प्रदाय हेतु कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है और ना ही स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में प्रथम अपील की गई थी परंतु निर्णय की प्रति प्रदान नहीं की गई। निर्णय की प्रति मांगने पर मौखिक कहा गया कि निर्णय की प्रति क्या करोगे।

आज दिनांक 02.9.2014 को अनावेदक क्रमांक 01 को सुना गया। शिकायतकर्ता को उपस्थिति हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया था परंतु वे अनुपस्थित रहे। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है। अनावेदक क्रमांक 01 को सुना गया उनके अनुसार उन्होंने समयावधि में अर्थात् आवेदन दिनांक 13.9.12 जो 14.9.12 को प्राप्त हुआ था, के उत्तर में पत्र क्रमांक 449 दिनांक 28.9.12 द्वारा शिकायतकर्ता/आवेदक को सूचित कर दिया था कि कोई कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है और ना ही स्वीकृत किया गया है इसलिए उन्होंने निर्धारित समयावधि में कार्यवाही कर दी थी।

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता का कथन सही है कि लिफाफे में पोस्ट आफिस की एक सील 31.10.12 की लगी है परंतु टिकिट पर जो दूसरी सील लगी है वह स्पष्ट नहीं है। उसमें 5.10.12 दिनांक दिख रहा है है परंतु ऐसा लग रहा है उसमें किसी ने पेन से 5 के स्थान पर 25 लिख दिया है जबकि पोस्ट आफिस अपनी सील लगाने के बाद संशोधन हेतु पेन का प्रयोग नहीं करता है। अतः लिफाफे को देखने से कोई विशेष स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है जिस पर शिकायतकर्ता की कूट रचना की शिकायत को सही माना जाये। वैसे भी लिफाफा पोस्ट आफिस में पहुंचने के बाद अनावेदक सील में अंकित तिथि में फेरबदल नहीं कर सकता। अतः कूटरचना की शिकायत सिद्ध नहीं होती। परंतु यह स्पष्ट है कि उक्त पत्र दिनांक 28.9.12 शिकायतकर्ता को भेजा गया था और वह उन्हें प्राप्त भी हुआ भले ही वह विलंब से प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने समय पर निर्णय नहीं दिया था और शिकायतकर्ता असंतुष्ट थे तो अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण न होने पर द्वितीय अपील की जा सकती है। जिसके अनुपालन में द्वितीय अपील संभव थी परंतु द्वितीय अपील न करते हुए शिकायत की गई है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में शिकायत अग्रिम कार्यवाही के योग्य नहीं पाई जाती। इसलिए नस्तीबद्ध की जाती है।

आदेश तद्नुरूप।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त